उत्तराखण्ड वन्यजीव हेल्प लाइन नं० 18008909715
कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
85 राजपुर रोड, देहरादून, फोन नं० 0135-2742884 ईमेल-cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांकः 1435/12-1 देहरादून, दिनांक 22 नवम्बर, 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
रामनगर वन प्रभाग, रामनगर।

विषयः— **जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालाढुंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाईवर्जन हेतु 0.35 है0 वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो हेतु सिंचाई विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online No. FP/UK/IRRIG/ 155063/2022)**

संदर्भः— आपका पत्रांक—1178/12—1, दिनांक 04.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र से जनपद नैनीताल में रामनगर वन प्रभाग के कालाढूंगी राजि के बौर वन ब्लॉक के अन्तर्गत कालाढुंगी नहर हेतु बौर नदी पर डाईवर्जन कार्य हेतु पूर्व से निर्मित कच्चे हैड/बन्धा को पक्के डाइवर्जन हैड के रूप में परिवर्तित किये जाने हेतु आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

आपके द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या/संस्तुति के आधार के अनुसार कालाढूंगी नहर हेतु बौर नदी पर प्रस्तावित डाइवर्जन हैड की **पवलगढ़ कंजरवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 7.4 कि0मी0 है, कार्बेट टाइगर रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 22.4 कि0मी0 एवं नैना देवी कंजरवेशन रिजर्व की निकटतम सीमा से हवाई दूरी 11.8 कि0मी0 है।** आप द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से वनों एवं वन्यजीवों एवं उनके वास स्थल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

अतः आपके संदर्भित पत्र से प्रेषित संस्तुति/आख्या के आधार पर उक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर जनहित में सहमति निम्न शर्तो के साथ व्यक्त की जाती है:—

1. यह सुनिश्चित किया जाये कि कार्य के दौरान प्रस्तावक विभाग द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्राविधानों का उल्लघंन न किया जाये।
2. वन बाहुल्य क्षेत्र होने के दृष्टिगत कार्य के दौरान कार्यरत श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्र में स्थगन नहीं किया जायेगा, वन क्षेत्रों से इतर स्थगन किया जाय।
3. सम्बन्धित ठेकेदार अथवा श्रमिकों के द्वारा वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार का पातन नहीं किया जायेगा तथा जलौनी लकड़ी का उपयोग वन क्षेत्र से नहीं किया जायेगा।
4. उक्त परियोजना का निर्माण कार्य नदी के प्रवाह को प्रभावित किये बिना किया जायेगा।

भवदीय,

22/11

(डा0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।

क्रमशः—2—

पत्रांक 1435 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/1

(डा0 समीर सिन्हा)
प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।